

25/9/17

राज्य द्वारा एडीपीओ।

अभियुक्त अशोक व शैलेन्द्र अनु०। उनकी ओर से व शेष अभियुक्तगण सहित अधिवक्त श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव।

अनुपस्थित आसेपीगण की ओर से अधिवक्ता श्री श्रीवास्तव द्वारा हाजिरीमाफी आवेदन पेश, बाद विचार स्वीकार।

प्रकरण कमिटल तर्क हेतु नियत है।

उमयपक्षों के कमिटल तर्क सुने गये। प्रकरण का अवलोकन किया।

अभियोजन कथा के अनुसार दिनांक 16.11.16 को 8:30 बजे फरियादी कल्यानसिंह एवं समवरन हसेलियापुरा मौजे में सरसों के खेत में पानी दे रहे थे

शैलेन्द्र  
अभियुक्त  
समवरन  
श्रीवास्तव  
विराजसिंह



# Order Sheet [Contd]

7

Case No.

458/16

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Members where necessary
	<p>पास में ही आरोपी महेन्द्र व वीरेन्द्रसिंह का खेत है। महेन्द्रसिंह ने फरियादी का पानी बंद अपने खेत में पानी खोल दिया। रामवरन ने कहा कि उसका पानी क्यों बंद कर दिया। इसी बात पर महेन्द्र व वीरेन्द्र मा बहन की दुसरी दुसरी गालियां देने लगे। फरियादी ने गाली देने से मना किया तो महेन्द्र ने कुल्हाड़ी रामवरन के सिर में मारी जिससे चोट होकर खून निकल आया धर्मवीर रामवरन को बचाने आया तो वीरेन्द्र ने कुल्हाड़ी व लाठी मारी जो सिर में लगी खून निकल आया। जगदीश, शैलेन्द्र, गिराज, अशोक ने फरियादी व रामवरन धर्मवीर की मारपीट डण्डों व लातघूसों से की जिससे फरियादी, रामवरन, धर्मवीर को शरीर में जगह जगह चोटें आईं। मौके पर गजेन्द्र, राजू निवासी जटपुरा के थे जिन्होंने बीच बचाव किया व घटना देखी। जाते समय आरोपीगण कह रहे थे कि मादरघोद आज तो बच गया आईदा खेत में पानी देने आया तो जान से खत्म कर देगे। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना गोहद में की जिस पर से अप0क0-339/16 पंजीबद्ध किया गया तथा विवेचना उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।</p> <p>अभियुक्तगण के विरुद्ध मादकि0 की धारा 326 के अधीन अभियोगपत्र पेश किया गया है। उक्त धारा के अधीन विचारण का एक मात्र क्षेत्रधिकार मान0 सत्र न्यायालय को है। अतः मामला विचारण हेतु मान0 सत्र न्यायालय को उपार्पित किया जाता है।</p> <p>प्रकरण में द0प्र0स0 की धारा 207 के अधीन अभियोगपत्र एवं संलग्न दस्तावेजों की प्रति पूर्व में दिलाई जा चुकी है।</p> <p>प्रकरण में निष्पादन लिपिक आगामी नियत दिनांक के पूर्व माननीय सत्र न्यायालय में प्रकरण को सुव्यवस्थित कर पहुंचाये जाने की व्यवस्था करें। साथ ही लोक अभियोजक को उपार्पण सख्ती सूचना भेजी जाए।</p> <p>उपार्पण की सूचना मालखाना नाजिर को प्रकरण में जप्तशुदा सर्पति को माननीय सत्र न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने हेतु भेजी जाए।</p> <p>अभियुक्त यदि अभिरक्षा में रहे हो तो उनके अभिरक्षा अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना निष्पादन लिपिक सुनिश्चित करायें।</p> <p>आरोपीगण जमानत पर हैं। अतः अभियुक्तगण को निर्देशित किया गया कि वे आगामी दिनांक पर मान0 प्रथम अपर सत्र न्यायालय गोहद में उपस्थित रहें।</p> <p>प्रकरण माननीय अपर सत्र न्यायालय गोहद के सम्मुख अभियुक्तगण की उपस्थिति हेतु दिनांक 09.10.17 को पेश हो।</p>	

(A.K. Gupta)  
Judicial Magistrate First Class  
Gohad, Dist. Bhind (M.P.)